

संख्या एच-११०१३/३/९८सीएल  
भारत सरकार  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली  
दिनांक 1998 दिसम्बर 30

**आदेश**

यह योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के समग्र पर्यवेक्षण निगरानी और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति प्रदान करती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एनसीएलपी की निम्नलिखित रचना के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन किया जाय:-

- |  |           |
|--|-----------|
| (i) सचिव, श्रम मंत्रालय  | - अध्यक्ष |
| (ii) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग<br>आंध्र प्रदेश की सरकार  | - सदस्य   |
| (iii) बिहार, गुजरात, कर्नाटक, सदस्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,<br>उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल<br>राज्यों के श्रम सचिवों | - सदस्य   |
| (iv) संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय  | - सदस्य   |
| (v) वित्तीय सलाहकार, श्रम मंत्रालय   | - सदस्य   |
| (vi) संयुक्त सचिव, ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय  | - सदस्य   |
| (vii) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास  | - सदस्य   |
| (viii) निदेशक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा   | - सदस्य   |
| (ix) संयुक्त सचिव, बाल श्रम प्रकोष्ठ   | - सदस्य   |

2. श्रम मंत्रालय का बाल श्रम सेल (प्रकोष्ठ) निगरानी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे.

(चित्रा चोपड़ा)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में

निगरानी समिति के सभी सदस्य

कॉपी:

- (i) पीएस - श्रम मंत्रालय
- (ii) पीपीएस - सचिव (श्रम)
- (iii) पीएस - अवर सचिव (श्रम)

(चित्रा चोपड़ा)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव